न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री के0 आर0 खौड़, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 547 / 2017

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

प्रदीप कुमार S/o बालकृष्ण जोशी ब्राह्मण

निवासी – शाहपुरा — ~~प्रार्थी~~ / प्रार्थीगण

बनाम

ओमप्रकाश कुमार S/o बालकृष्ण जोशी ब्राह्मण

निवासी बाग्गी मोहल्ला शाहपुरा — ~~विपक्षी~~ / विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री प्रवीन्द्र वैष्णव अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 11/7/17

~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण के ग्राम ढोसर तहसील शाहपुरा/ ——— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर ढोसर 547 रकबा 1.49 कुल किता 1 रकबा 1.49 हैक्टयर का ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण ~~खातेदार~~/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण पड़ौसी है। ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण एवं ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। ~~विपक्षी~~/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम ढोसर संवत 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण ~~खातेदार~~/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ढोसर मे स्थित ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण की उपरोक्त ~~खातेदारी~~/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 1 रकबा 1.49 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ ——— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 300/- रूपये कायम किये जाते है जो ~~प्रार्थी~~/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ ——— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/7/17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(के0आर खौड़)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः–तहसीलदार, शाहपुरा/ ——— पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

शाहपुरा (भीलवाड़ा)